

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

मुख्य सचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/2025/3915
दिनांक: 10.03.2025

सेवा में,
प्रबन्धक,
आदित्य दीक्षित गर्ल्स डिग्री कालेज,
औडगासन, गाजीपुर।

विषय: महाविद्यालय को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

- उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के पत्रांक-PURVAN/संभ/2024/2301 दिनांक 27.07.2024 द्वारा आदित्य दीक्षित गर्ल्स डिग्री कालेज, औडगासन, गाजीपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र, भूगोल, हिन्दी, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत एवं समाजशास्त्र विषयों में शैक्षिक सत्र 2019-20 के परीक्षाफल के आभाव में सत्र 2024-25 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया गया था कि सन्दर्भित पाठ्यक्रम/विषयों का सत्र 2019-20 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2020-21 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे। महाविद्यालय के प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2025 द्वारा उपरोक्त कमियों का निराकरण करने के उपरान्त मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 28.02.2025 के अनुपालन में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2024 से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान की जाती है।
1. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक-02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
 2. शासनादेश संख्या-5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी. दिनांक-16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या-5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 3. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
 4. रेट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक-30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
 6. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई नुस्ति एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
 7. शासन के पत्र संख्या-12/2015/450/सत्तर-2015-16 (33)/2015, दिनांक-12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
 8. उक्त सम्बद्धता प्राप्त धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण-पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
 9. महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष AISHE का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. सहायक कुलसचिव शैक्षणिक को आगामी कार्यपरिषद की बैठक में कार्यपरिषद के संज्ञानार्थ रखे जाने हेतु।
5. परीक्षा नियंत्रक/अतिगोपनीय/परीक्षा विभाग।
6. टैक्निकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव